रजिस्ट्री सं० डी०ए ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4232] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940
No. 4232] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

MediaOne

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)
(कोफेपोसा स्कंध)
आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5437(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 09.08.2018 को पीडी-12002/17/2018-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री काई हैबिन सुपुत्र श्री काई झोंग फा, निवासी (i) ग्वांगडुंग प्रोविंस शेंताओ सिटी, हुनान एरिया, चेंडियान विलेज ix बी, जाओ मी ब्रिज नोर्थ ईस्ट 6 झिंयाग गेंग, 2 नंबर (ii) मार्फत श्री ए गणेश, एडवोकेट 179, एफ ब्लॉक, अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नै-600102 को हिरासत में लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, पूझल, चेन्नै में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, तस्करी का माल लाने-ले जाने तथा निषिद्ध माल का धंधा करने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु सरकार के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12002/17/2018 – कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Economic Intelligence Bureau)
(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2018

S.O.5437(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order No. PD-12002/17/2018-COFEPOSA dated 09.08.2018 under the said sub-section directing that Shri Cai Haibin, S/o Shri Cai Jhong fa,, R/o (i) Guangdung Province Shantou City, Hunan Area, Chendian Village ix bei, Zao mei bridge North East 6 Xiang Gang, 2 number (ii) C/o Shri A Ganesh, Advocate, 179, F Block, Anna Nagar East, Chennai-600102, to be detained and kept in Central Jail, Puzhal, Chennai, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods, engaging in transporting and concealing the smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Tamilnadu within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

IndiaCode

[No.PD-12002/17/2018-COFEPOSA]
RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.10.30 22:22:54 +05'30'